

न्यायालय: द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(समक्ष: मोहम्मद अज़हर)

सत्र प्रकरण क्र.-168/2016

संस्थित दिनांक 16.05.2016

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना-एण्डोरी तहसील गोहद
जिला-भिण्ड (म.प्र.)अभियोगी

बनाम

1. मंतोष सिंह तोमर उर्फ हीरासिंह पुत्र राधेश्याम सिंह तोमर
आयु 34 वर्ष,
2. रिकू सिंह तोमर उर्फ शेरसिंह पुत्र राधेश्याम सिंह तोमर
आयु 32 वर्ष,
3. राधेश्याम सिंह तोमर पुत्र रतन सिंह तोमर आयु 59 वर्ष
4. गुड्डी देवी उर्फ पुष्पा पत्नी राधेश्याम सिंह तोमर आयु 60
वर्ष,
5. पूजा पत्नी रिकू सिंह तोमर उर्फ शेरसिंह आयु 26 वर्ष
निवासीगण ग्राम शेरपुर थाना एण्डोरी तहसील गोहद जिला
भिण्ड अभियुक्तगण

(न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद (श्री गोपेश मार्ग) के न्यायालय के
मूल आपराधिक प्रकरण क्र. 197/16 में पारित उपार्षण आदेश दिनांक 04.05.
16 से उत्पन्न सत्र प्रकरण)

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक।
अभियुक्तगण द्वारा श्री तेजपाल सिंह तोमर अधिवक्ता।

//निर्णय//

(आज दिनांक 29/08/17 को घोषित)

1. अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0सं0 की धारा-498ए एवं 304बी तथा
दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा-4 के तहत दण्डनीय अपराध के यह
आरोप है कि अभियुक्तगण मंतोष सिंह, राधेश्याम, गुड्डी देवी उर्फ पुष्पा, रिकू
सिंह उर्फ शेरसिंह एवं पूजा ने क्रमशः मृतिका श्रीमती रेखा के पति, ससुर,
सास, देवर एवं देवरानी रहते हुए ग्राम शेरपुर अंतर्गत थाना एण्डोरी जिला

भिण्ड में रेखा के विवाह दिनांक 27.05.10 के पश्चात से रेखा की मृत्यु दिनांक 22.12.15 तक की अवधि में रेखा व उसके मायकेवालों से मोटरसाइकिल की दहेज की मांग को लेकर उसे खानापीना न देते हुए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित व तंग करते हुए उसके प्रति क्रूरता की एवं उक्त दहेज की मांग को लेकर रेखा के साथ क्रूरता करने व उसे तंग करने पर रेखा के विवाह के सात वर्ष के भीतर दिनांक 22.12.15 को रेखा के द्वारा जहर पी लेने से सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा रेखा की मृत्यु कारित हुई।

2. अभियोजन के अनुसार दिनांक 22.12.15 को श्रीमती रेखा के चाचा विश्रामसिंह अपने घर पर सुबह 10:30 बजे था। वहां पर राधेश्याम के घर पर हल्ला सुनाई देने पर वहां पहुंचा तो रेखा उल्टी कर रही थी, उसकी सास गुडडी एवं देवरानी पूजा से बताया कि उसने कुछ खा लिया है, तब अभियुक्त रिकू और हरिदास उर्फ हरीसिंह तथा विश्राम सिंह रेखा को गोहद अस्पताल ले गए, जहां से ग्वालियर ले जाने को कहा गया, ग्वालियर जे.ए.एच. अस्पताल में जाने पर इलाज के दौरान रेखा की मृत्यु हो गई। जे.ए. अस्पताल से डॉक्टर जे.पी. गोयल अ0सा0-12 के द्वारा थाना कम्पू की जे.ए.एच. अस्पताल की पुलिस चौकी पर लिखित सूचना प्र0पी0-10 भेजी गई। जिस पर से चौकी पर प्र0पी0-06 का मार्ग कायम किया गया तथा उक्त मार्ग थाना एण्डोरी की ओर भिजवाई गई, जिस पर से प्र0पी0-11 की मार्ग सूचना थाना एण्डोरी में लिखी गई। मार्ग जांच पर से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा-304बी एवं 34 भा0दं0सं0 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी गई। अस्पताल में रेखा की लाश का पोस्टमार्टम किया गया जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-21 है। सफीना फार्म प्र0पी0-07 तैयार किया गया। मृतिका रेखा की लाश का पंचायतनामा जे.ए.एच. अस्पताल में ही प्र0पी0-08 बनाया गया। मार्ग जांच के दौरान दिनांक 08.01.16 को प्र0पी0-13 का घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। अस्पताल से थाना एण्डोरी का आरक्षक मनीष मांझी मृतिका रेखा का दो बोतल बिसरा, नमक के घोल का पैकेट, कपड़ों की सीलबंद पोटली व सीलबंद नमूना थाने पर लेकर आया, जिसे प्रधान आरक्षक गोविंद सिंह के द्वार जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-09 बनाया गया।

3. दौराने विवेचना दिनांक 11.01.16 को साक्षीगण राघवेन्द्र सिंह, गोपाल सिंह, राजोदेवी, लाखनसिंह तथा दिनांक 01.02.16 को विश्राम सिंह, हरीसिंह के कथन लिए गए। दिनांक 11.01.16 को अभियुक्तगण मंतोष, रिकू एवं राधेश्याम के तथा दिनांक 02.04.16 को अभियुक्त गुड्डी देवी तथा पूजा को प्र0पी0-14 लगायत प्र0पी0-18 के गिरफ्तारी पंचनामे से गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र प्र0पी0-19 के माध्यम से मृतिका रेखा का बिसरा क्षेत्रीय न्यायालयीन विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर की ओर भेजी गई, जिसकी रिपोर्ट प्र0पी0-20 प्राप्त हुई। जिसके अनुसार मृतिका रेखा के बिसरा में एल्यूमिनियम फास्फाइड (जहर) कीटनाशक पाया गया। श्रीमती रेखा के भाई राघवेन्द्र सिंह के पुलिस कथन प्र0पी0-02, ताऊ गोपाल सिंह के पुलिस कथन प्र0पी0-01, मां राजोबाई के पुलिस कथन प्र0पी0-04 एवं पिता लाखन सिंह के पुलिस कथन प्र0पी0-05 के अनुसार विवाह के बाद रेखा से अभियुक्तगण के द्वारा मोटरसाइकिल की दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित व तंग किया जाता था व कूरता की जाती थी, जिसके चलते सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा परिस्थितियों में जहर से रेखा की मृत्यु हो गई। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पाए जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से यह प्रकरण उपार्पित होकर उपार्पण के पश्चात विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

4. अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाए गए उपरोक्त अपराध के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने अपराध करना अस्वीकार किया और विचारण की मांग की, अभियुक्तगण का धारा-313 दं0प्र0सं0 के तहत परीक्षण किए जाने पर उनका कहना है कि वे निर्दोष है। उन्हें झूठा फंसाया गया है। बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह हैं कि:-

1. श्रीमती रेखा की मृत्यु का स्वरूप क्या था ? अर्थात् श्रीमती रेखा की मृत्यु की प्रकृति दुर्घटनात्मक थी या हत्यात्मक थी या आत्महत्यात्मक थी ?
2. क्या अभियुक्तगण ने रेखा के विवाह के पश्चात रेखा से अथवा उसके मायके वालों से दहेज में मोटरसाइकिल की मांग की और उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित या तंग करते हुए उसके प्रति कूरता की ?

3. क्या रेखा की मृत्यु विवाह के सात वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा परिस्थितियों में हुई थी ?
4. क्या अभियुक्तगण ने दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर रेखा को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ना देते हुए उसके साथ उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व इस हद तक मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़नापूर्ण व्यवहार किया कि रेखा का जीवन परिसंकटमय हो जावे ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 :-

5. हरीसिंह अ0सा0-06 एवं विश्रामसिंह अ0सा0-07 ने यह बताया है कि कथन देने की दिनांक 06.01.17 से लगभग एक वर्ष पहले सुबह 10-11 बजे राधेश्याम अर्थात् रेखा के ससुर के घर पर हीरासिंह की पत्नी रेखा उल्टी कर रही थी। वहां पर यह बताया गया कि रेखा ने कुछ खा लिया है, तब हरीसिंह, रिकू एवं विश्राम सिंह रेखा को इलाज के लिए गोहद अस्पताल ले गए जहां पर डॉक्टर ने रेखा को देखकर सीधे ग्वालियर ज.ए.एच. अस्पताल जाने के लिए कहा था। जहां पर स्कॉर्पियो गाड़ी से रेखा को जे.ए.एच. अस्पताल ले जाया गया। जहां पर डॉक्टर ने रेखा को मृत घोषित कर दिया। विश्राम सिंह अ0सा0-07 ने यह भी बताया है कि सफीना फॉर्म प्र0पी0-07 है तथा नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0-08 है। इन दोनों साक्षियों की साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि रेखा ने कुछ खा लिया था, जिससे उसे उल्टियां हो रही थीं और अस्पताल पहुंचने पर रेखा की मृत्यु हो गई थी।
6. डॉ0 जे.पी. गोयल अ0सा0-12 ने दिनांक 22.12.15 को जे.ए.एच. अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा विभाग में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए मृतिका रेखा पत्नी हीरासिंह तोमर के चाचा विश्राम सिंह के द्वारा लेकर आना बताया है और यह बताया है कि चेक करने पर रेखा मृत पाई गई। उन्होंने यह भी बताया कि मृतिका के चाचा ने मृतिका का जहर खाना बताया था। उन्होंने मृतिका की मृत्यु की लिखित सूचना दोपहर 02:10 बजे थाना कम्पू की ओर भेजी थी, जो प्र0पी0-10 है। मोहन प्रसाद अ0सा0-05 ने दिनांक 22.12.15 को थाना कम्पू में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहना बताते हुए डॉक्टर जे.पी. गोयल द्वारा लिखित तहरीर थाना कम्पू में प्रस्तुत करना बताया है। जिसके आधार पर थाना कम्पू पर मर्ग

प्र0पी0-06 पंजीबद्ध करना बताया है।

7. गोविंद सिंह अ0सा0-13 ने दिनांक 05.01.16 को थाना एण्डोरी में प्रधान आरक्षक लेखक के पद पर पदस्थ होना बताते हुए आरक्षक मनीष मांझी के द्वारा प्र0पी0-06 का मार्ग इंटीमेशन थाने पर लाकर देना बताया है, जिसके आधार पर प्र0पी0-11 की मार्ग सूचना दर्ज करना बताया है। उन्होंने यह भी बताया है कि मनीष के द्वारा दो बोतल बिसरा, नमक के घोल के पैकेट, कपड़ों की सीलबंद पोटली व सीलबंद नमूना प्रस्तुत किया था। जिसे जप्त कर जप्तीपंचनामा प्र0पी0-09 बनाया गया था। अरविन्द नेताम अ0सा0-09 एवं राजकुमार अ0सा0-10 ने भी प्र0पी0-09 की जप्ती की पुष्टि की है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि रेखा को अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी।
8. अंगद सिंह अ0सा0-08 ने दिनांक 22.12.15 को थाना कम्पू में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए मृतिका रेखा पत्नी हीरासिंह तोमर की लाश का नक्शापंचायतनामा बनाया जाना बताया है जो प्र0पी0-08 है। यह भी बताया है कि उसी दिनांक को उसके द्वारा रेखा का शव परीक्षण हेतु डेड हाउस जे.ए.एच. ग्वालियर के चिकित्सक के लिए शवपरीक्षण आवेदनपत्र तैयार किया गया था। प्र0पी0-08 के नक्शा पंचायतनामा का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें पंचों द्वारा यह राय दी गई है कि मृतिका रेखा की मृत्यु जहरीला पदार्थ खाने से हुई है। प्र0पी0-07 के सफीना फॉर्म से भी स्पष्ट है कि रेखा की मृत्यु के संबंध में पूछताछ के लिए एवं अन्य कार्यवाहियों के लिए सफीना फॉर्म जारी किया गया है।
9. प्रवीण अष्ठाना अ0सा0-14 ने यह बताया है कि एस.डी.ओ.पी. गोहद के पद पर रहते हुए दिनांक 08.01.16 को मार्ग जांच के दौरान उनके द्वारा टटनास्थल का नक्शामौका प्र0पी0-13 तैयार किया गया था। मार्ग जांच के उपरांत दिनांक 11.01.16 को अपराध क्रमांक 03/16 अंतर्गत धारा-304बी, 34 भा0दं0सं0 तथा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया था, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0-12 है।
10. पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्र0पी0-21 के अनुसार श्रीमती रेखा की मृत्यु के कारण के संबंध में राय नहीं दे सकने की राय दी गई है। अरविन्द नेताम अ0सा0-09, राजकुमार अ0सा0-10 एवं गोविंद सिंह अ0सा0-13 की साक्ष्य

से स्पष्ट है कि थाना एण्डोरी के आरक्षक मनीष मांझी के द्वारा दो बोतल बिसरा एवं अन्य सामग्री को अस्पताल से प्राप्त कर थाना एण्डोरी पर प्रस्तुत किया गया था, जिसे थाना एण्डोरी में प्र0पी0-09 के द्वारा जप्त किया गया था। बिसरा के संबंध में प्रवीण अष्ठाना अ0सा0-04 ने यह बताया है कि पुलिस अधीक्षक के पत्र प्र0पी0-19 के माध्यम से श्रीमती रेखा का बिसरा क्षेत्रीय न्यायालीन विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर के लिए भेजा गया था, जिसकी एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्र0पी0-20 प्राप्त हुई थी। प्र0पी0-19 के पत्र एवं प्र0पी0-20 की एफ.एस.एल. रिपोर्ट का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि मृतिका रेखा के बिसरा प्रदर्श ए एवं प्रदर्श बी में एल्यूमिनियम फास्फाइड कीटनाशक अर्थात् जहर पाया गया है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि रेखा की मृत्यु जहर खाने से या खिलाने से हुई थी स्पष्ट है कि इस मृत्यु को किसी भी प्रकार से दुर्घटनात्मक नहीं कहा जा सकता।

11. अब रेखा की मृत्यु के दो विकल्प बचते हैं, प्रथम हत्यात्मक एवं द्वितीय आत्महत्यात्मक। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री एवं साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्तगण ने मृतिका रेखा की हत्या की। अभियोजन मामले के अनुसार अर्थात् मृतिका रेखा के मायके वाले भाई राघवेंद्र सिंह अ0सा0-02, ताऊ गोपाल सिंह अ0सा0-01, मां श्रीमती राजोदेवी अ0सा0-03 एवं पिता लाखन सिंह अ0सा0-04 के पुलिस कथन प्र0पी0-02, प्र0पी0-01, प्र0पी0-04 एवं प्र0पी0-05 के अनुसार भी मामला यह नहीं है कि अभियुक्तगण ने रेखा को बल पूर्वक जहर पिलाया हो। अभिलेख पर इस प्रकार की कोई साक्ष्य भी नहीं है। नक्शा पंचायतनामा प्र0पी0-08 का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि उसमें मृतिका रेखा के शरीर पर कोई जाहिराना चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। स्पष्ट है कि जहर बलपूर्वक नहीं पिलाया गया। तब केवल यही विकल्प रह जाता है कि रेखा ने स्वयं जहर पीकर आत्महत्या की। स्पष्ट है कि रेखा की मृत्यु का स्वरूप आत्महत्यात्मक था।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 03:-

12. बाल्मिकी चौबे अ0सा0-11 ने थाना प्रभारी एण्डोरी के पद पर पदस्थ रहते हुए दिनांक 05.01.16 को श्रीमती रेखा के भाई राघवेंद्र सिंह भदौरिया से विवाह का कार्ड जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र0पी0-03 बनाया जाना बताया है। उक्त कार्ड आर्टिकल ए के अनुसार श्रीमती रेखा एवं अभियुक्त मंतोष का

विवाह दिनांक 27.05.10 को हुआ था। मृत्यु दिनांक 22.12.15 को हुई है। गोपाल सिंह अ0सा0-01 राघवेन्द्र अ0सा0-02, श्रीमती राजोदेवी अ0सा0-03 एवं लाखन अ0सा0-04 ने छः वर्ष पहले रेखा का विवाह मंतोष से होना बताया है, चूंकि रेखा की मृत्यु जहर खाने से हुई है अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि रेखा की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्षों के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हुई है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 02 एवं 04:-

13. उक्त विचारणीय प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियुक्तगण की ओर से मृतिका रेखा को खाना न देने, उससे व उसके मायके वालों से मोटरसाइकिल की मांग करने, रेखा को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने या तंग करने और उसके प्रति क्रूरता करने तथा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित होने पर रेखा के द्वारा आत्महत्या करने के संबंध में किसी भी साक्षी ने कोई साक्ष्य नहीं दी है। प्रमुख साक्षी रेखा के ताऊ गोपाल सिंह अ0सा0-01, रेखा का भाई राघवेन्द्र अ0सा0-02, रेखा की मां श्रीमती राजोदेवी अ0सा0-03 एवं रेखा के पिता लाखन अ0सा0-04 आदि सभी ने यह बताया है कि रेखा की मृत्यु की सूचना सुनकर वे शेरपुर गांव गए थे, वहां पता चला था कि रेखा ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है। परंतु इसके साथ-साथ यह भी बताया है कि रेखा जब उनके घर पर अपनी ससुराल से आती थी, तो ससुराल वालों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती थी और उसकी ससुराल वाले अच्छी तरह से रखते थे। इन सभी साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी द गोषित किया गया है।

14. अभियोजन की ओर से प्रतिपरीक्षण में यह सुझाव दिए जाने पर कि अभियुक्तगण रेखा से मोटरसाइकिल की मांग करते थे, रेखा यह बताती थी कि अभियुक्तगण उक्त मोटरसाइकिल की दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे और खाना नहीं देते थे, उक्त मांग को लेकर रेखा ने प्रताड़ित होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली, इन तथ्यों से इन्कार किया है। क्रमशः प्र0पी0-01, प्र0पी0-02, प्र0पी0-04 एवं प्र0पी0-05 के पुलिस कथन पुलिस को नहीं देना बताया है। अपितु चारों ही साक्षियों ने अभियोजन की ओर से सुझाव देते समय स्वतः ही यह बताया है कि रेखा शादी के पहले से ही जिद्दी स्वभाव की थी और वह अपने पति के साथ गुजरात जाने की

जिद करती रहती थी।

15. चारों ही साक्षियों से बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर यह बताया है कि रेखा बचपन से ही जिद्दी प्रकृति की थी और छोटी-छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी, शादी के बाद जब रेखा अपने मायके आती थी, तब कहती थी कि वह हीरासिंह उर्फ मंतोष के साथ गुजरात रहना चाहती है। मंतोष ने रेखा को रखने के लिए उचित व्यवस्था न होना बताया था। उन्हें यह जानकारी मिली थी कि घटना के दो दिन पहले भी रेखा ने मंतोष से गुजराज जाने की जिद की थी। परंतु मंतोष के पास उचित व्यवस्था न होने से उसने इन्कार कर दिया था। परंतु रेखा अपनी जिद पर अड़ी रही थी। घटना के बाद रेखा की ससुराल जाने पर यह पता चला था कि मंतोष के गुजरात जाने के बाद रेखा ने जिदवश खाना नहीं खाया और क्रोध में आकर जहरीला पदार्थ खा लिया। इस प्रकार प्रमुख साक्षियों ने ही इस बिन्दु पर अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है।

16. न्याय दृष्टांत किसन सिंह बनाम पंजाब राज्य 2008 (1)

सीसीएससी 208 (सु0को0) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दहेज मृत्यु के मामले में निम्नलिखित पांच आवश्यक तत्वों का निर्धारण किया जाना चाहिए:-

1. स्त्री की मृत्यु दाह या शारीरिक उपहति द्वारा या सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा होनी चाहिए।
2. ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
3. स्त्री को उसके पति द्वारा अथवा उसके पति के नातेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न के अधीन रखा जाना चाहिए।
4. क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में होनी चाहिए।
5. ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न उसकी मृत्यु के ठीक पहले की गई दर्शित की जाती हो, सिद्ध किया जाना चाहिए।

17. इस मामले में उपरोक्त सामग्री विवेचना एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य के आधार पर यह तो प्रकट है कि मृतिका रेखा की मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हुई थी। परंतु यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण के द्वारा रेखा के साथ दहेज की मांग को लेकर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया या उसे तंग किया गया या उसकी मारपीट की

गई या उसे प्रताड़ित किया गया या मृत्यु के ठीक पूर्व उसे दहेज की मांग को लेकर उसके प्रति क्रूरता की गई। यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्तगण ने रेखा अथवा उसके मायके वालों से दहेज में मोटरसाइकिल अथवा अन्य किसी दहेज की मांग की। अतः ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।

18. फलस्वरूप अभियुक्तगण मंतोष सिंह, राधेश्याम, गुड्डी देवी उर्फ पुष्पा, रिकू सिंह उर्फ शेरसिंह एवं पूजा को भा0दं0सं0 की धारा 498ए, 304बी एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे।
20. अभियुक्त मंतोष उर्फ हीरासिंह दिनांक 11.01.16 से 22.03.16 तक अर्थात् कुल 72 दिवस, अभियुक्त रिकू दिनांक 11.01.16 से 31.03.16 तक अर्थात् कुल 81 दिवस, अभियुक्त राधेश्याम दिनांक 11.01.16 से दिनांक 16.02.16 तक अर्थात् कुल 37 दिवस निरोध में रहे हैं। अभियुक्त श्रीमती गुड्डी उर्फ पुष्पा तथा श्रीमती पूजा निरोध में नहीं रही है। उसकी अग्रिम जमानत का आदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा किया गया है। इस संबंध में धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।
21. धारा-365 दं0प्र0सं0 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड की ओर भेजी जावे।

निर्णय दिनांकित, हस्ताक्षरित
कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(मोहम्मद अज़हर)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)